रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1973/पौष 10, 1895

No. 321] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1973/PAUSA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December 1973

No. A.11013/E/134/71-Ad.IV.—In supersession of the orders contained in their Resolution No. A.11013/E/134/71-Ad.IV, dated the 24th September, 1973, the Government of India have decided that the Central Excise (Self Removal Procedure) Review Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) before the 30th April, 1974.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. R. YARDI, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

सं० 11013/ई०/134/71-प्रशा IV.—भारत सरकार ने, दिनांक 12 जुलाई, 1972 के अपने संकल्प सं० ए० 11013/ई०/134/71 प्रशा० IV में निहित आदेशों का अधिलंघन करते हुए, यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि) समीक्षा समिति, अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को 30 अप्रैल, 1974 से पूर्व प्रस्तुत कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिनिधि लिपि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को प्रेषित की जाय और इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

मधुकर यार्दी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973